भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

छात्रवृत्ति की घोषणा : 2020.21

(मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर ओर मेरिट-सह-साधन आधारितवृ)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2020–21 के लिए तीन छात्रवृति योजनाओं अर्थात मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधान आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है। ''अल्पसख्यक कल्याण विभाग'', उत्तर प्रदेश सरकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।''

समय–सीम	छात्रों द्वारा नई छात्रवृति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण छात्रवृति (वह आवेदक जिसने 2019–20 के दौरान छात्रवृति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृति	30 नवम्बर 2020
		i. मैट्रिकोत्तर छात्रवृति एवं ii. मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृति	30 नवम्बर 2020

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) का विद्यार्थी हो।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हो।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल वेबसाइट– www.scholarships.gov.in (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप–National Scholarship (NSP) पर छात्रवृति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए

सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं।

...माधान हेल्पलाइन (टोल फ्री) : 1800–11–2001 (समय सुबह 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छोड़कर)।